[illegible]

16/12/22 पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। विपक्षीगण को कोर्ट समय से तीन बार तीन-तीन आवाजें दिलाई गई। बावजूद आवाजें दिलाने के विपक्षीगण अनुपस्थित है, अतः विपक्षीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वकील प्रार्थीगण के बहस सुनी। आदेश अलग से लिखा जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। आदेश की पालनार्थ तहसील जावे। पालना प्राप्त होने पर शामिल मिसल की जावे, पत्रावली निर्णय मुताबिक शामिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.12.22 12:40:55 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 80 / 2022

प्रार्थीगण :–

1. सुरेन्द्रसिंह पुत्र भवानीसिंह
2. कंचनकुमारी पत्नी सुरेन्द्रसिंह
   जाति राजपूत निवासी गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. गिरधारी पुत्र विशना
2. सावलाराम पुत्र वाला
3. देमो पत्नी भाणा
4. गेरो पत्नी वाला
5. इन्द्रा पुत्री भाणा जाति कलबी निवासी गांधवखुर्द तहसील गुड़ामालानी
6. लक्ष्मणसिंह पुत्र प्रतापसिंह
7. भवानीसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति राजपूत निवासी गांधवखुर्द तहसील गुड़ामालानी
8. हरीसिंह पुत्र भूरा
9. धनसिंह पुत्र भूरा
10. गणसिंह पुत्र भूरा जाति रावणा राजपूत निवासी गांधवखुर्द तहसील गुड़ामालानी
11. सहायक अभियन्ता सिंचाई विभाग गांधवखुर्द खण्ड राजस्थान सरकार
12. तहसीलदार गुड़ामालानी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित

1. श्री रामजीवन विश्नोई अधिवक्ता प्रार्थीगण

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 16.12.2022

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री रामजीवन विश्नोई की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी सम्बत् 2078 (वर्ष 2021) से स्थाई सरहद मौजा गांधव खुर्द के खेत खसरा नम्बर 412/152 रकबा 7.1629 हैक्टेयर किस्म रेल अब्बल का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण के नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर से नेखम व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.12.22 12:40:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि तहसील गुड़ामालानी पटवार क्षेत्र गांधव कला के राजस्व गांधव खुर्द के खेत खसरा नम्बर 412/152 रकबा 7.1629 हैक्टेयर किस्म रेल अब्बल भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 500/– शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 16/12/2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.12.22 12:40:55 IST
Reason: SelfAttested